छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा षोडश सत्र अंक-03

रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 जुलाई, 2018

(आषाढ़ 13, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 13 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 07 की प्रश्नकर्ता सदस्य (डॉ) श्रीमती रेणु जोगी के स्थान पर श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 15 तारांकित एवं 51 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017,

(2) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2016-17,

(3) श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) की धारा 50 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-16/गृह-दो/विविध/2007, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित शौर्य पदक नियम, 2017, तथा

(4) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 **पटल पर रखे।**

4. पृच्छा

श्री सत्यनारायण शर्मा एवं श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा माननीय सदस्य डॉ. विमल चोपड़ा के साथ घटित घटना पर प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा कराये जाने का आग्रह किया गया।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा यौन शोषण से संबंधी घटना का उल्लेख करने और समाचार पत्र प्रदर्शित किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

इस सदन में ये परंपरा नहीं है कि हम समाचार पत्र को प्रदर्शित करें। मैंने पूर्व में भी व्यवस्था दी है कि जो इस सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं तो उनके बारे में आरोप लगाना है तो उसकी पूर्व सूचना दी जाये। माननीय शिवरतन शर्मा जी ने सूचना जरूर दी, लेकिन मैंने उस सूचना को अमान्य कर दिया है, इसलिए इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा पुन: घटना का उल्लेख किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

वरिष्ठ सदस्य श्री शिवरतन शर्मा जी के द्वारा नियमों के अंतर्गत कोई सूचना नहीं दी गई है। मैंने पूर्व में भी व्यवस्था दी है कि उस सूचना को अग्राह्य कर दिया है। इसलिए इस विषय पर जो भी बातचीत आई होगी, उसको रिकार्ड से विलोपित कर दिया जाये।

(पक्ष - प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा कथन किया गया कि माननीय सदस्य डॉ. विमल चोपड़ा उनके साथ घटित घटना पर वक्तव्य देना चाहते हैं।

मानननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि उनका सचिवालय में या अध्यक्ष के पास किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं आया है। जब उनका पत्र आयेगा तो विचार किया जायेगा।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने जिला-जांजगीर-चांपा में सीपत से बलौदा होते हुए उरगा तक सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने शिक्षा का अधिकार के तहत् निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा बी.पी.एल. बच्चों को प्रवेश नहीं दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. विमल चोपड़ा
(2) श्री सियाराम कौशिक
(3) श्री नवीन मारकण्डेय
(4) श्री संतराम नेताम
(5) श्री कवासी लखमा
(6) श्री बघेल लखेश्वर
(7) श्री दीपक बैज
(8) श्री मोतीलाल देवांगन

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री श्रीचंद सुंदरानी, सभापति ने याचिका समिति का नवम् एवं दशम्, एवं

(2) श्री अशोक साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौदहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां एवं अठारहवां **प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।**

8. वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 54, 55, 64, 67, 71, 76, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चार हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़, चौवन लाख, दो हजार, नौ सौ सड़सठ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री कवासी लखमा,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री श्यामबिहारी जायसवाल, धनेन्द्र साहू, नवीन मारकण्डेय,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री केशव चंद्रा, रामदयाल उईके, दीपक बैज, डॉ. विमल चोपड़ा,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री भोलाराम साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

9. बजट पुस्तिका में संशोधन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की बजट पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 79 में उल्लेखित मांग संख्या 24 के मद क्रमांक-2 (8716) के पद (5) में मुद्रित "जिला रायपुर" के स्थान पर "जिला बलौदाबाजार-भाटापारा" पढ़ा जावे संबंधी संशोधन प्रस्तुत किया ।

10. वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में दर्ज पद क्रम 7 (2) का कार्य पूर्ण होने तक समयवृद्धि की घोषणा की।)

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2018 (क्रमांक-12 सन् 2018)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2018 (क्रमांक-12 सन् 2018) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनूसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2018 (क्रमांक-12 सन् 2018) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर निम्नलिखित विधेयकों की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत् रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान की -

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018), तथा

(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018)

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018) पुर:स्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से,

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018), तथा

(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 15-15 मिनट का समय निर्धारित किया।

सायं 5.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 5 जुलाई, 2018 (आषाढ़-14, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा